

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-प०क०-13/सं०नि०न०/श०आ०-दिशा-निर्देश/52/2020-21/498-75 दिनांक 23 जून 2020

विषय:- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 हेतु शहरी आशा के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिन्हित शहरों/कस्बों में शहरी आशाओं के चयन एवं प्रशिक्षण कराया जा चुका है तथा प्रशिक्षणोपरान्त उनके द्वारा कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इन शहरी आशाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भांति शहरों/कस्बों विशेषकर मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनता को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान किये जाने में विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

अतः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत आर०ओ०पी० के अनुसार शहरी आशा द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया


(डा० मिथिलेश चतुर्वेदी)
महानिदेशक

प०प०संख्या- प०क०-13/सं०नि०न०/श०आ०-दिशा-निर्देश/52/2020-21/

तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 3- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 4- अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी/ जिलाध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, उत्तर प्रदेश।
- 7- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 8- महाप्रबन्धक, कम्यूनिटी प्रोसेस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 9- समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नोडल), राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सलटेन्ट, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 11- समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/ जनपदीय अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर, एन०यू०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।


(डा० मिथिलेश चतुर्वेदी)
महानिदेशक

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-प०क०-13/सं०नि०न०/श०आ०-दिशा-निर्देश/52/2020-21/

दिनांक 23 जून 2020

विषय:- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 हेतु शहरी आशा के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिन्हित शहरों/कस्बों में शहरी आशाओं के चयन एवं प्रशिक्षण कराया जा चुका है तथा प्रशिक्षणोपरान्त उनके द्वारा कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इन शहरी आशाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भांति शहरों/कस्बों विशेषकर मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनता को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान किये जाने में विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

अतः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत आर०ओ०पी० के अनुसार शहरी आशा द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा० मिथिलेश चतुर्वेदी)

महानिदेशक

पृ०संख्या- प०क०-13/सं०नि०न०/श०आ०-दिशा-निर्देश/52/2020-21/573-342 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 3- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 4- अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी/ जिलाध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, उत्तर प्रदेश।
- 7- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 8- महाप्रबन्धक, कम्यूनिटी प्रोसेस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 9- समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नोडल), राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सलटेन्ट, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 11- समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/ जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, एन०यू०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।

(डा० मिथिलेश चतुर्वेदी)

महानिदेशक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 हेतु शहरी आशा योजना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिन्हित शहरों/कस्बों में शहरी आशाओं का चयन एवं प्रशिक्षण किया जा रहा है। इन आशाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति शहरों/कस्बों विशेषकर मलिन वस्तियों में रहने वाली जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किये जाने में विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

शहरी आशा कार्यक्रम को सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु शहरी आशा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं—

1. शहरी आशा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

आशा, समुदाय को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करने के साथ ही शहरी आबादी के वंचित वर्गों विशेषतः महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्रदान करेगी तथा समुदाय एवं स्वास्थ्य कर्मियों के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त शहरी आशा निम्नलिखित कार्य संपादित करेगी—

- गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव तैयारी, सुरक्षित प्रसव का महत्व, स्तनपान, सम्पूरक आहार, टीकाकरण के सम्बन्ध में महिलाओं को परामर्श प्रदान करना।
- गर्भवती महिला अथवा बच्चे को उपचार की आवश्यकता पड़ने पर एक पूर्व निर्धारित नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र जैसे – नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम संदर्भन इकाई पर साथ लेकर जाना अथवा संदर्भन के लिए प्रबन्ध करना।
- सरकार द्वारा शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर उपलब्ध करायी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराना एवं प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।
- सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सामग्री जैसे— ओ0आर0एस0, आयरन की गोलियों, क्लोरोक्विन, डी.डी. किट, गर्भनिरोधक गोलियों तथा कण्डोम, आकरिमक गर्भनिरोधक गोली आदि के लिए डिपो होल्डर के रूप में कार्य करना।
- प्रजनन तंत्र/यौन जनित संक्रमण के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्रदान करना।
- आशा द्वारा ए.एन.एम. के साथ मिलकर अपने कार्यक्षेत्र में महिला आरोग्य समितियों के गठन एवं विकास में सहयोग करना एवं महिला आरोग्य समितियों के सहयोग से स्वास्थ्य योजना तैयार करना।
- महिला आरोग्य समिति की मासिक बैठक आयोजित कराना।
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत घरों में शौचालय निर्माण के लिए जागरूकता उत्पन्न करना।
- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जानकारी प्रदान करना तथा जागरूकता उत्पन्न करना।
- अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित घरों में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कराने हेतु परिवार को प्रेरित करना, नगरीय क्षेत्र के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण इकाईयों को सूचित करना तथा समुदाय में फैलने वाले अन्य रोगों की सूचना नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध कराना।
- विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करना।
- पुनरक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डॉट्स प्रदाता के रूप में कार्य करना।
- अन्धता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत मोतियाबिन्द से ग्रसित व्यक्तियों को चिन्हित करना तथा चिकित्सालय/कैम्प में संदर्भित करना।
- सामान्य रोगों, यथा—दस्त, बुखार, हल्की चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर आवश्यकतानुसार संदर्भित करना।
- अल्पसेवित, असेवित, स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग न कर पाने में सक्षम परिवारों पर विशेष ध्यान देना।

- उपरोक्त के अतिरिक्त शहरी आशा के सम्बन्ध में केन्द्र अथवा राज्य स्तर से निर्धारित अन्य कार्यों का संपादन करना।
- शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका को अद्युनांत करना।
- प्रशिक्षण पश्चात (6-7 मॉड्यूल प्रथम चरण के पश्चात) गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) कार्यक्रम में आशा द्वारा जन्म से 42 दिन तक नवजात शिशु एवं माँ की 6 से 7 बार गृह भ्रमण के दौरान देखभाल करना।

आशा कार्यक्रम को सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु शहरी आशा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं-

2. शहरी आशा प्रतिपूर्ति राशि

शहरी आशा द्वारा किये जा रहे कार्यों के आधार पर विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों में प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है। प्रतिपूर्ति राशियों का ससमय भुगतान किये जाने से आशाओं के उत्साह, मनोबल एवं कार्य क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे वह अपने कार्यों को और सक्रिय रूप से कर पाने में सक्षम हो पायेंगी तथा समुदाय को गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इन गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वित किये जाने एवं अभिलेखीकरण हेतु शहरी आशाओं को शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें शहरी आशा अपने क्षेत्र में किये जाने वाले सभी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीयों एवं सेवाओं का उल्लेख करती है। जिसकी सहायता से शहरी आशा के कार्य के सत्यापन में मदद मिलती है एवं शहरी आशा को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है।

FMR Code U.3.1.1.1 Incentive for routine activity- भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में शहरी आशाओं को उनके द्वारा किये जाने वाले नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में FMR Code U.3.1.1.1 में ₹0 2000/- प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इन गतिविधियों का विवरण एवं गतिविधियों के लिए दी जाने वाली धनराशि निम्न तालिका में दी गयी है-

| एफ.एम. आर. कोड | क्र.सं. | गतिविधियाँ | प्रतिपूर्ति राशि (₹0 में) |
|---|---------|--|---------------------------|
| FMR Code U.3.1.1.1 | 1 | शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर | 200 |
| | 2 | महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने पर (केवल स्लम आशा हेतु) | 150 |
| | 3 | शहरी आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय। | 150 |
| | 4 | वर्ष के आरम्भ में एवं 6 माह के पश्चात परिवारों की सूची तैयार करने पर तथा मासिक रूप से अद्यतन करने पर | 300 |
| | 5 | शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर | 300 |
| | 6 | टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर | 300 |
| | 7 | ANC लाभार्थियों का लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर | 300 |
| | 8 | योग्य दम्पतियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर | 300 |
| नियमित गतिविधियों के लिए कुल प्रतिपूर्ति राशि | | | 2000 |

*उपरोक्त गतिविधियों में से जब तक महिला आरोग्य समिति का गठन नहीं किया जाता है, तब तक उक्त मद में अधिकतम धनराशि कुल ₹0 1850/- प्रतिमाह ही अनुमन्य होगी।

- शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर— शहरी आशा द्वारा शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के एक दिन पूर्व समस्त लाभार्थियों को शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग किये जाने हेतु सूचित करेगी। शहरी आशा को अपने क्षेत्र में आयोजित शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने, स्वयं उपस्थित रहने हेतु रू0 200/— प्रतिमाह प्रावधानित किया गया है।
- महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने पर — शहरी आशा द्वारा प्रतिमाह अपने क्षेत्र में गठित महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा एवं सदस्य सचिव के रूप में समस्त कार्यविधि को भी अभिलेखीकृत किया जायेगा। महिला आरोग्य समिति के सम्बंध में परिवार कल्याण महानिदेशालय के पत्र संख्या प0क0-13/सं0नि0न0/म0आ0स0 /128/2018-19/2966-75 लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर 2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। उक्त बैठक के अंतर्गत आने वाली समस्त शहरी आशाओं को बैठक में सहयोग व प्रतिभाग करने पर रू0 150/— दिया जायेगा।
- शहरी आशाओं को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु— शहरी आशाओं की मासिक बैठकों का आयोजन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किया जाता है। इस बैठक में प्रतिभाग करने पर आशाओं को प्रतिमाह रू0 150/— प्रतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- कार्य क्षेत्र में सर्वे को अद्यतन करना — उक्त मद के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में प्रत्येक माह सर्वे अद्यतन करना होगा। कार्यक्षेत्र में यदि नये परिवार जुड़े हैं अथवा वर्तमान परिवारों में जन्म/मृत्यु/विवाह हुआ हो तो इनका मासिक आधार पर अंकन किया जाना होगा। इस कार्य हेतु शहरी आशा को रू0 300/— प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है। आशा द्वारा प्रत्येक 6 माह में अपने कार्यक्षेत्र के समस्त परिवारों का क्षेत्र भ्रमण करके रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में वार्ड सर्वे तालिका में सूचनाएं अंकित/अद्यतन की जानी होंगी।
- शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर को अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर— शहरी आशा को अपने सूचकांक रजिस्टर को मासिक आधार पर अद्यतन रखना होगा तथा अपने कार्यक्षेत्र में समस्त जन्मों एवं मृत्युओं के पंजीकरण में सहयोग प्रदान करना होगा। इस कार्य हेतु आशा को रू0 300/— प्रति माह प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है।
- टीकाकरण हेतु ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर— रजिस्टर में सम्बन्धित भाग में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अपेक्षित लाभार्थियों (टीकाकरण हेतु बच्चों, गर्भवती महिलाओं) की सूची तैयार की जानी है। इस हेतु शहरी आशाओं को प्रतिमाह रू0 300/— प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है। शहरी आशाओं द्वारा सही एवं पूर्ण रूप से ड्यू लिस्ट बनाने पर ड्राप आउट एवं लेफ्ट आउट बच्चों, गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण में मदद मिलेगी जिससे उनको समय-समय पर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। ड्यू लिस्ट बनाते समय अल्पसेवित परिवारों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- ANC लाभार्थियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। शहरी आशाओं से अपेक्षा की जाती है कि सभी गर्भवती महिलाओं की जल्द से जल्द पहचान कर पंजीकरण तथा न्यूनतम 3 प्रसव पूर्व जाँचें करायेगी एवं संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करेंगी जिससे क्षेत्र की मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सके। रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव सेवा एवं टीकाकरण सम्बन्धी विवरणों को अंकित किया जाना है। इस हेतु शहरी आशाओं को प्रतिमाह रू0 300/— प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है। शहरी आशाओं द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव योजना तैयार की जानी है। इसके अंतर्गत शहरी आशा द्वारा गर्भवती महिलाओं से संपर्क कर उनका पंजीकरण कराना, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रसव स्थान का चिन्हीकरण, परिवहन की व्यवस्था, प्रसव के समय

सहयोग करने वाले परिवार के सदस्यों का चिन्हीकरण का विवरण शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के सम्बन्धित भाग में अंकित किया जाना है।

- योग्य दम्पतियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर— शहरी आशा, अपने शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में जो परिवार नियोजन के लिए योग्य दम्पतियों के विवरण से सम्बन्धित है, क्षेत्र के रहने वाले समस्त योग्य दम्पतियों की सूची बनाकर अद्यतन करेगी। इस कार्य हेतु रू0 300/- प्रतिमाह का प्राविधान किया गया है।

नोट— यदि किसी कारण से आशा उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में से किसी एक या अधिक गतिविधि को पूर्ण नहीं कर पाती तो शेष गतिविधियों में शहरी आशा को भुगतान किया जायेगा। उदाहरण— यदि किसी कारणवश शहरी आशा अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाली शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग नहीं करती है एवं शहरी आशा द्वारा अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग किया गया है तो उस दशा में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग नहीं करने हेतु अनुमोदित राशि रू0 200/- का भुगतान नहीं किया जायेगा।

FMR Code U.3.1.1.4- other Incentive to ASHA Janani Surakha Yojana- इस मद के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसका मातृ स्वास्थ्य अनुभाग से निर्गत निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

FMR Code U.3.1.1.3 Other Incentive to ASHA हेल्थ प्रमोशन डे—हेल्थ प्रमोशन दिवस में निर्धारित मासिक गतिविधियों के आयोजन में आशा द्वारा समुदाय को प्रेरित एवं जागरूक करने के लिए प्रति गतिविधि में प्रति माह आशाओं को रू0 200 दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

- आशा द्वारा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों यथा जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण, गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम, प्लस पोलियो, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि में भी आशा हेतु कार्य के आधार पर निम्नानुसार प्रतिपूर्ति राशियों का प्राविधान किया गया है। जिसके विस्तृत दिशा-निर्देश सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रेषित किये जा रहें हैं।

| क्र. सं. | कार्यक्रम | गतिविधियाँ | प्रतिपूर्ति राशि (रू0 में) |
|----------|-------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | मातृ स्वास्थ्य | पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल (पूर्ण ANC जॉच, तथा MCP कार्ड पर MCTS नम्बर अंकन) के पश्चात सरकारी चिकित्सा इकाई में संस्थागत प्रसव कराने पर। | 400 |
| 2 | | पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल (पूर्ण ANC जॉच, तथा MCP कार्ड पर MCTS नम्बर अंकन) के बिना सरकारी चिकित्सा इकाई में संस्थागत प्रसव कराने पर। | 200 |
| 3 | | अति जोखिम गर्भवती महिला का उच्चस्तरीय केन्द्र पर परीक्षण, भर्ती और संस्थागत प्रसव कराने के साथ MCTS/ RCH पोर्टल पर Entry कराने पर (प्रति केस) | 300 |
| 4 | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | गर्भवती महिला का पंजीकरण कराने के पश्चात् दी जाने वाली धनराशि प्रति केस | 50 |
| 5 | | गर्भवती महिला का प्रपत्र 1 सी भरकर प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रति केस | 50 |
| 6 | बाल स्वास्थ्य | गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अंतर्गत आशा को 24 घंटे के भीतर प्रथम भ्रमण, 3 और 7 दिन के भ्रमण करने पर प्रति लाभार्थी हेतु | 150 |
| 7 | | गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अंतर्गत, आशा को शेष भ्रमण करने पर प्रति लाभार्थी हेतु | 100 |
| 8 | | AMB कार्यक्रम में आशा द्वारा 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को 50 M.L बॉटल auto dispenser के आयरन सीरप का वितरण हेतु प्रति माह | 50 |
| 9 | | SAM बच्चों को NRC में सन्दर्भन करने पर (प्रति बच्चा) | 50 |

| क्र. सं. | कार्यक्रम | गतिविधियाँ | प्रतिपूर्ति राशि (रु० में) |
|----------|------------------------|--|----------------------------|
| 10 | | SAM बच्चों को NRC से छुट्टी होने के पश्चात 4 फॉलोअप करने पर (प्रति बच्चा) | 100 |
| 11 | परिवार कल्याण | महिला नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में) | 200 |
| 12 | | पुरुष नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में) | 300 |
| 13 | | प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में) | 300 |
| 14 | | दो बच्चों के पश्चात् स्थाई गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर | 1000 |
| 15 | | शादी के पश्चात 2 साल तक प्रथम बच्चे हेतु अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर | 500 |
| 16 | | प्रथम बच्चे से द्वितीय बच्चे के मध्य 3 साल का अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर | 500 |
| 17 | | लाभार्थी को PPIUCD लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने/सहयोग करने पर | 150 |
| 18 | | लाभार्थी को PAIUCD लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने/सहयोग करने पर | 150 |
| 19 | | महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर मे सर्जिकल विधि से गर्भपात सेवाओं के उपरान्त फॉलोअप करना तथा समस्त सेवायें दिलाना (प्रति केस) | 150 |
| 20 | | महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर मेडिकल विधि से गर्भपात सेवाओं के उपरान्त फॉलोअप करना तथा समस्त सेवायें दिलाना (प्रति केस) | 225 |
| 21 | मिशन परिवार विकास जनपद | पुरुष नसबन्दी मात्र 57 जिलों में | 400 |
| 22 | | अन्तराल एवं गर्भपात के उपरान्त (महिला नसबन्दी) मात्र 57 जिलों में | 300 |
| 23 | | प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी मात्र 57 जिलों में | 400 |
| 24 | | लाभार्थी को नई पहल किट वितरण करने के सम्बन्ध में प्रति किट मात्र 57 जिलों में | 100 |
| 25 | | लाभार्थी को स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने एवं त्रैमासिक गर्भनिरोधक इन्जेक्शन (अन्तरा) लगवाने पर मात्र 57 जिलों में | 100 |
| 26 | टीकाकरण | 0-1 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षण हेतु (प्रति बच्चा) | 100 |
| 27 | | 1-2 वर्ष के बच्चों का सम्पूर्ण प्रतिरक्षण हेतु (प्रति बच्चा) | 75 |
| 28 | | 5-6 वर्ष की आयु तक (डी.पी.टी.बूस्टर-2) प्रतिरक्षण हेतु (प्रति बच्चा) | 50 |
| 29 | | टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु (प्रति सत्र) | 150 |
| 30 | | पोलियो कार्यक्रम में मोबलाइज करने हेतु (प्रतिदिन) | 100 |
| 31 | HPD | हेल्थ प्रमोशन दिवस के आयोजन में आशा द्वारा समुदाय को प्रेरित एवं जागरूक करने हेतु प्रति माह | 200 |
| 32 | राष्ट्रीय कार्यक्रम | डाट्स प्रोवाइडर (नये रोगी 6-7 माह का कोर्स) | 1000 |
| 33 | | रोगी प्रतिरोधी (MDR-TB) रोगियों का इलाज और सहयोग प्रदान करने वाले समुदाय डॉट प्रदाता के लिए प्रोत्साहन राशि (2 साल का कोर्स) | 5000 |
| 34 | | रक्त पट्टिका बनाना (प्रति स्लाइड) | 15 |
| 35 | | पी0एफ0 पॉजिटिव या पी0बी0 पॉजिटिव आने एवं पूर्ण उपचार कराने पर (प्रति केस) | 75 |
| 36 | | कुष्ठ रोग(पी0बी0) की पहचान एवं पंजीकरण (प्रति केस) | 250 |

| क्र. सं. | कार्यक्रम | गतिविधियाँ | प्रतिपूर्ति राशि (रु० में) |
|----------|-----------|--|----------------------------|
| 37 | | पूर्ण उपचार के उपरान्त (प्रति केस) | 400 |
| 38 | | कुष्ठ रोग(एम०बी०) की पहचान एवं पंजीकरण (प्रति केस) | 250 |
| 39 | | पूर्ण उपचार के उपरान्त (प्रति केस) | 600 |
| 40 | | कुष्ठ रोग के संवेदीकरण में आशाओं की सहभागिता हेतु | 100 |
| 41 | | ए०इ०एस०/जे०ई०केस का नजदीकी सामु० स्वा० केन्द्र/जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज में सन्दर्भन करने के उपरान्त यदि केस धनात्मक पाया जाता है तो उसे प्रति केस दी जायेगी। मात्र 20 जनपदों में। | 300 |
| 42 | | कालाजार हेतु (IRS) 2 राउन्ड में छिड़काव (प्रति राउन्ड रु० 100) | 200 |
| 43 | | कालाजार रोगी का सन्दर्भन एवं उपचार किये जाने के उपरान्त 500 की धनराशि दिये जाना (प्रति केस) मात्र 11जनपदों में | 500 |
| 44 | | प्रतिदिन 25 घर या 125 व्यक्तियों को MDA की दवा खिलाने पर (प्रति दिन) | 200 |
| 45 | | 50 घरों के नमक परीक्षण हेतु (मात्र 24 जनपदों) | 25 |

2.1 मातृ स्वास्थ्य

- जननी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत आशाओं को दी जाने वाली कुल धनराशि रु० 400 का प्रावधान है— अर्थात् यदि आशा किसी गर्भवती महिला का पूर्ण ANC जाँच कराकर संस्थागत प्रसव कराती है तो उस आशा को कुल धनराशि रु० 400 दी जायेगी, परन्तु यदि आशा किसी कारणवश किसी गर्भवती महिला का ANC जाँच कराने के पश्चात् संस्थागत प्रसव नहीं कराती है तो उस अवस्था में आशा को कोई धनराशि प्राप्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि आशा किसी गर्भवती महिला का पूर्ण ANC जाँच नहीं कराती है और केवल संस्थागत प्रसव ही कराती है तो उसे मात्र रु० 200 प्रति लाभार्थी की धनराशि प्राप्त होगी।
- आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र की अति जोखिम गर्भवती महिला का उच्च स्तरीय केन्द्र पर परीक्षण, भर्ती और संस्थागत प्रसव कराने के साथ MCTS/ RCH पोर्टल पर Entry कराने पर प्रति केस रु० 300 का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

- आशा द्वारा गर्भवती महिला का पंजीकरण कराने के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फार्म भरा जायेगा जिसके साथ गर्भवती महिला का MCP कार्ड/आधार कार्ड/बैंक पासबुक/पोस्ट आफिस पास बुक की छाया प्रति फार्म के साथ ANM को उपलब्ध करायेगी। इसके पश्चात् प्रति केस रु० 50 दिये जाने का प्रावधान है।
- आशा द्वारा गर्भवती महिला का प्रपत्र 1 सी भरकर ए०एन०एम० के पास जमा किया जायेगा। आशा का भुगतान लाभार्थी को तृतीय किस्त के भुगतान के साथ ही किया जायेगा। इसके पश्चात् प्रति केस रु० 50 दिये जाने का प्रावधान है।

2.2 बाल स्वास्थ्य

- 2.2.1 गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC)— गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्थागत प्रसव की दशा में 6-7 मॉड्यूल में प्रशिक्षित आशाओं द्वारा लाभार्थी को स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज होने अर्थात् संस्था से वापस लौटने के 24 घंटे के भीतर नवजात का प्रथम गृह भ्रमण किया जाना है एवं अन्य भ्रमण यथावत् ही रहेंगे (3, 7, 14, 21, 28, 42वें दिन)। इसी प्रकार गृह प्रसव की दशा में आशा का भ्रमण 24 घंटे के भीतर, 3रें, 7वें, 14वें, 21वें, 28वें एवं 42वें दिन किया जाये। बीमार नवजात शिशुओं एवं कम वजन के बच्चों का आशा द्वारा सिक न्यू बार्न केयर यूनिट (SNCU)/न्यू बार्न स्टेबिलाइजिंग यूनिट (NBSU) से छुट्टी होने के 24 घंटे के भीतर नवजात का गृह भ्रमण

किया जाना है एवं छुट्टी होने से 07 दिन तक आशा द्वारा बीमार नवजात शिशुओं का प्रतिदिन गृह भ्रमण किया जाना चाहिए।

6-7 मॉड्यूल में प्रशिक्षित आशाओं द्वारा गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अंतर्गत आशा को प्रथम भाग में रू0 150, 24 घंटे के भीतर, 3 और 7 दिन के भ्रमण करने पर और द्वितीय भाग में रू0 100 प्रोत्साहन राशि शेष भ्रमण (14वें, 21वें, 28वें एवं 42वें दिन) को पूरा करने पर प्रदान की जायेगी। विस्तृत दिशा-निर्देश बाल स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा प्रेषित किये गये हैं।

- 2.2.2 **AMB** (एनीमिया मुक्त भारत)- कार्यक्रम में आशा द्वारा 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को 50 M.L बॉटल auto dispenser के आयरन सीरप का वितरण सुनिश्चित कर यू0एच0एन0डी0 सत्र पर मोबलाइज करने हेतु रू0 50/- प्रति माह की दर से आशा को प्रतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- 2.2.3 **SAM बच्चों को NRC में सन्दर्भन एवं भर्ती** - आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र के SAM बच्चों को NRC में सन्दर्भन एवं भर्ती किया जाना है, जिसका रजिस्ट्रेशन NRC में किया जायेगा। NRC द्वारा प्रत्येक माह आशा द्वारा सन्दर्भन एवं भर्ती करायी गयी सूचना संकलित कर जिला पुरुष चिकित्सालय में जमा किया जायेगा। जिसके उपरान्त आशाओं को भुगतान किया जायेगा। जिसके लिए रू0 50 प्रति बच्चा दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- 2.2.4 **SAM बच्चों को NRC से छुट्टी होने के पश्चात 15-15 दिनों के अन्तर पर 4 फॉलोअप-** आशाओं द्वारा SAM बच्चों को NRC से छुट्टी होने के पश्चात 15-15 दिनों के अन्तर पर 4 फॉलोअप करना और प्रत्येक फॉलोअप करने पर वह सूचना NRC की रजिस्टर पर लिखी जायेगी। जिसके उपरान्त NRC में आशाओं द्वारा किये गये कार्यों की संकलित सूचना आशाओं के एकाउन्ट विवरण के साथ जिला पुरुष चिकित्सालय में NRC द्वारा जमा किया करेगें। उसके बाद आशाओं का भुगतान किया जायेगा। जिसके लिए रू0 100 प्रति बच्चा दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

2.3 परिवार कल्याण-

- 2.3.1 आशाओं द्वारा महिलाओं को नसबन्दी कराने के लिए प्रेरित करने पर प्रति केस रू0 200/- दिये जाने का प्रावधान है।
- 2.3.2 आशाओं द्वारा पुरुषों को नसबन्दी कराने के लिए प्रेरित करने पर प्रति केस रू0 300/- दिये जाने का प्रावधान है।
- 2.3.3 प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी हेतु के लिए प्रेरित करने पर प्रति केस रू0 300/- दिये जाने का प्रावधान है।
- 2.3.4 आशाओं को दो बच्चों तक परिवार सीमित रखने वाले पात्र दम्पतियों को स्थाई विधियों (महिला/पुरुष नसबन्दी) का परामर्श प्रदान कर मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय या सरकारी चिकित्सालय पर चयन सुनिश्चित करने के लिए रू0 1000/- दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- 2.3.5 आशाओं द्वारा नवविवाहित दम्पतियों को विवाह के उपरान्त दो वर्षों तक प्रथम बच्चे हेतु अन्तराल रखने के लिए प्रेरित करने पर प्रति केस रू0 500/- दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- 2.3.6 आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में जिस दम्पति के एक बच्चा है, उसके प्रथम बच्चे से द्वितीय बच्चे के मध्य 3 साल का अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर प्रति केस रू0 500/- दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- 2.3.7 आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में लाभार्थी को PPIUCD लगवाने के लिए प्रेरित करने हेतु सरकारी स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने और सहयोग करने पर प्रति केस रू0 150/- दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- 2.3.8 आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में लाभार्थी को PAIUCD लगवाने के लिए प्रेरित करने हेतु सरकारी स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने और सहयोग करने पर प्रति केस रू0 150/- दिये जाने का प्रावधान किया गया है। यह प्रोत्साहन राशि उसी अवस्था में देय होगी। यदि गर्भ

समापन ऑपरेशन अथवा स्वतः हुआ हो या चिकित्सकीय पद्धति से हुआ है तो यह प्रोत्साहन राशि आशाओं को दिया जायेगा।

2.3.9 आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर सर्जिकल विधि से सरकारी चिकित्सालय में गर्भपात सेवायें दिलाने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रति केस रू0 150/- का प्राविधान किया गया है।

2.3.10 सुरक्षित गर्भपात सेवायें प्रदान करने हेतु मेडिकल विधि से गर्भपात किये जाने की स्थिति में आशा को यात्रा भत्ता के रूप में प्रतिपूर्ति राशि दिया जाना है। यह धनराशि आशा को उसी स्थिति में होगी जब लाभार्थी का प्रथम एवं तृतीय दिन का दवाओं का कोर्स दिया जाये। इस स्थिति में आशा को रू0 150 प्रति केस (रू0 75/-प्रथम दिन व रू0 75/-तृतीय दिन) दिया जायेगा तथा शेष रू0 75/- की धनराशि आशा द्वारा पन्द्रहवें दिन पर लाभार्थी द्वारा फॉलोअप विजिट कराने पर दिया जायेगा। इस योजना के तहत आशा द्वारा यदि किसी महिला को मेडिकल विधि से गर्भपात सेवा दिलाने हेतु प्रेरित कर उपरोक्त समस्त सेवायें दिलायी जाती हैं तो आशा को एकमुश्त धनराशि रू0 225/-प्रति केस दिया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त मिशन परिवार विकास कार्यक्रम से आच्छादित 57 जनपदों में निम्नानुसार प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जा रही है-

- मिशन परिवार विकास जनपदों में आशाओं द्वारा पुरुषों को नसबन्दी कराने के लिए प्रेरित करने पर प्रति केस रू0 400/- दिये जाने का प्रावधान है।
- मिशन परिवार विकास जनपदों में आशाओं द्वारा महिलाओं को अन्तराल एवं गर्भपात के उपरान्त (महिला नसबन्दी) कराने हेतु प्रेरित करने पर प्रति केस रू0 300/- दिये जाने का प्रावधान है।
- मिशन परिवार विकास जनपदों में आशाओं द्वारा महिलाओं का प्रसव पश्चात् नसबन्दी कराने के लिए प्रेरित करने पर प्रति केस रू0 400/-दिये जाने का प्रावधान है।
- मिशन परिवार विकास जनपदों में आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के नवविवाहित दम्पतियों की सूची बनाना। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर से आशायें नई पहल किट प्राप्त करेंगी। जिसके बाद लाभार्थी को नई पहल किट वितरण करने हेतु प्रति किट रू0 100/-दिये जाने का प्रावधान है।
- मिशन परिवार विकास जनपदों में आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के लाभार्थी को स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने एवं त्रैमासिक गर्भनिरोधक इनजेक्शन (अन्तरा) लगवाने हेतु प्रति केस रू0 100/- दिये जाने का प्रावधान है।

2.4 टीकाकरण-

2.4.1 0-1 वर्ष के बच्चों को सभी निर्धारित वैक्सीन(बी.सी.जी, ओ.पी.वी0,1,2,3, पेन्टावैलेंट, एम. आर. 1,) लगवाने के लिए आशा को पूर्ण प्रतिरक्षण हेतु प्रति बच्चा रू0 100 का प्रावधान किया गया है।

2.4.2 1-2 वर्ष के बच्चों को सभी निर्धारित वैक्सीन (डी.पी.टी.-बूस्टर1, ओ.पी.वी- बूस्टर) लगवाने के लिए आशा को सम्पूर्ण प्रतिरक्षण हेतु प्रति बच्चा रू0 75 का प्रावधान किया गया है।

2.4.3 5-6 वर्ष की आयु तक सभी निर्धारित वैक्सीन (डी.पी.टी.बूस्टर-2) द्वारा प्रतिरक्षण हेतु प्रति बच्चा रू0 50 का प्रावधान किया गया है।

2.4.4 टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु (प्रति सत्र) रू0 150 आशाओं को दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

2.4.5 आशाओं को पोलियो कार्यक्रम में मोबलाइज करने के लिये प्रतिदिन की दर से रू0 75/- की धनराशि दी जायेगी इसके अतिरिक्त यदि आशाओं द्वारा प्रतिदिन 100 से 150 बच्चों को मोबलाइज करती है तो रू0 75/- के स्थान पर रू0 100/- प्रतिदिन की दर से आशाओं को धनराशि दिये जाने का प्रावधान है, अर्थात् मात्र आशा कार्यकर्त्रियों को ही रू0 25/- प्रतिदिन की दर से मानदेय अधिक दिया जायेगा।

2.5 राष्ट्रीय कार्यक्रम-

- 2.5.1 आशाओं द्वारा नये क्षय रोगियों का 6-7 माह का कोर्स (कैट-1) कराने पर, कोर्स पूर्ण और उपचार होने के पश्चात् रू0 1000/- की धनराशि प्रति केस आशाओं को दिये जाने का प्रावधान है।
- 2.5.2 आशाओं द्वारा रोगी प्रतिरोधी (MDR-TB) रोगियों का 2 वर्ष का कोर्स कराने पर, कोर्स पूर्ण और उपचार (completed course of treatment) होने के पश्चात् रू0 5000/- धनराशि प्रति केस आशाओं को दिये जाने का प्रावधान है।
- 2.5.3 आशा को रक्त पट्टिका निर्मित करने अथवा आर0डी0टी0 किट के माध्यम से परीक्षित कराकर निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर (जहाँ रक्त पट्टिका जाँच की सुविधा उपलब्ध हो) को 24 घटें के अन्दर पहुँचाने पर रू0 15.00 प्रति रक्त पट्टिका की दर से भुगतान किये जाने का प्रावधान है।
- 2.5.4 आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में मलेरिया के पी0एफ0 व या पी0वी0 केस पॉजिटिव आने एवं पूर्ण उपचार कराने पर रू0 75/- की धनराशि प्रति केस आशाओं को दिये जाने का प्रावधान है।
- 2.5.5 आशा द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में कुष्ठ रोग के पॉसीबेसीलरी केस की पहचान एवं पंजीकरण कराने पर रू0 250/-की धनराशि प्रति केस आशाओं को दिये जाने का प्रावधान है।
- 2.5.6 आशा द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में कुष्ठ रोग के पॉसीबेसीलरी केस की पहचान एवं पंजीकरण कराने के साथ ही पूर्ण उपचार के उपरान्त रू0 400/-की धनराशि प्रति केस आशाओं को दिये जाने का प्रावधान है।
- 2.5.7 आशा द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में कुष्ठ रोग के मल्टीबेसीलरी केस की पहचान एवं पंजीकरण कराने पर रू0 250/-की धनराशि प्रति केस आशाओं को दिये जाने का प्रावधान है।
- 2.5.8 आशा द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में कुष्ठ रोग के मल्टीबेसीलरी केस की पहचान एवं पंजीकरण कराने के साथ ही पूर्ण उपचार के उपरान्त रू0 600/-की धनराशि प्रति केस आशाओं को दिये जाने का प्रावधान है।
- 2.5.9 आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के ए0इ0एस0/जे0ई0 केस का नजदीकी सामु0स्वा0 केन्द्र/जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज में सन्दर्भन करने के उपरान्त यदि केस धनात्मक पाया जाता है तो उसे रू0 300/- की धनराशि प्रति केस दिये जाने का प्रावधान है। जिसे मात्र 20 जनपदों में किया जा रहा है।
- 2.5.10 आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में होने वाले कालाजार हेतु (IRS) 2 राउन्ड में छिड़काव करने हेतु कुल रू0 200/- अर्थात् प्रति राउन्ड रू0 100/-दिये जाने का प्रावधान है। जिसे मात्र 11 जनपदों में किया जा रहा है।
- 2.5.11 आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के कालाजार रोगी का सन्दर्भन एवं उपचार किये जाने के उपरान्त रू0 500/- की धनराशि प्रति केस दिये जाने का प्रावधान है। जिसे मात्र 11 जनपदों में किया जा रहा है।
- 2.5.12 आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में फाइलेरिया के अधिकतम 3 दिन तक 50 घर या 250 व्यक्तियों को MDA की दवा खिलाने पर रू0 200/- की धनराशि प्रतिदिन के अनुसार दिये जाने का प्रावधान है। जिसे मात्र 51 जनपदों में किया जा रहा है।
- 2.5.13 आशा द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में 50 घरों के नमक परीक्षण करने हेतु रू0 25/- की धनराशि प्रति केस आशाओं को दिये जाने का प्रावधान है। जिसे मात्र 24 जनपदों में किया जा रहा है।

3. शहरी आशा को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु दिशा-निर्देश

ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति शहरी क्षेत्रों में भी संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे जे0एस0वाई0, बाल स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएं एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम इत्यादि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के

अन्तर्गत लाभार्थियों एवं आशा को प्रतिपूर्ति धनराशि राशि दी जानी है। अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के सम्बंध में निम्न व्यवस्था की गयी है—

- जिन आशाओं ने 8 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो उन्हीं आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। शहरी आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिये ही भुगतान किया जायेगा।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक बैंक खाता खोला गया है। एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत अरबन आशा को देय समस्त प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत खोले गये बैंक खाता से किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त एन.एच.एम. के अन्तर्गत संचालित अन्य कार्यक्रमों हेतु आशाओं को दी जाने वाली धनराशि के भुगतान हेतु, लक्ष्य का निर्धारण करते हुए धनराशि जनपद स्तर से संबंधित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के खाते में स्थानान्तरित की जानी है। इस संबंध में पत्र सं0 SPMU/NUHM/Financial/2018-19/43/7219 दिनांक 05-10-2018 के माध्यम से दिशा निर्देश पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं।

- शहरी आशा द्वारा विगत माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक की गयी समस्त गतिविधियों का विवरण आशा पेमेन्ट वाउचर में अंकित कर माह की 25 तारीख तक क्षेत्रीय ए.एन.एम. को उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए, साथ ही ए.एन.एम. का भी यह दायित्व होगा कि माह की 25 तारीख तक अपने क्षेत्र की समस्त आशाओं से वाउचर एकत्र कर लें।
- ए.एन.एम. द्वारा माह की 30 तारीख तक वाउचर में अंकित गतिविधियों का सत्यापन कर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पास जमा करा दिये जायेंगे। ए.एन.एम. द्वारा अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शहरी आशा द्वारा किये गये कार्यों का नियमित सत्यापन कर शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर में अंकित कर देना चाहिए, इससे माह के अन्त में वाउचर के सत्यापन में आसानी होगी। यदि ए.एन.एम. अपने सम्बन्धित शहरी आशाओं द्वारा किये गये कार्यों का सत्यापन माह में होने वाली मासिक बैठक से पूर्व ही कर लेती है, तो नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होने वाली मासिक बैठक में शहरी आशाओं के क्षमता निर्माण हेतु व अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा।
- एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत जनपद में तैनात अर्बन हेल्थ क्वार्टिनेटर/सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/डी0ई0ओ0 कम एकाउन्टेंट/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक माह सभी शहरी आशाओं के वाउचर ससमय प्राप्त कर लिये जाये तथा परीक्षण करते हुये यह सुनिश्चित किया जाय कि वाउचर सही और पूर्ण भरे हों।
- एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत जनपद में तैनात अर्बन हेल्थ क्वार्टिनेटर/सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/डी0ई0ओ0 कम एकाउन्टेंट/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट प्रत्येक आशा द्वारा किये गये कार्यों के अनुसार भुगतान हेतु वाउचर के अनुसार सूची तैयार करेंगे। उक्त सूची को प्रभारी चिकित्साधिकारी/अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर/नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 द्वारा अगले माह की 2 तारीख तक परीक्षण कर सत्यापित किया जायेगा।
- शहरी आशा को किये जाने वाले भुगतान को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संचालित एन0यू0एच0एम0 के खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में, पीएफएमएस के माध्यम से, धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी। (जिन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किसी कारण से खाता नहीं खुल पाया है, वहाँ पर खाता खोलने की कार्यवाही शीघ्र की जाये तथा खाता खोले जाने तक पूर्व की भाँति जनपद मुख्यालय स्तर पर संचालित एन0यू0एच0एम0 के खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से, धनराशि स्थानान्तरित की जाये)।

- अकाउंटेंट कम डी0ई0ओ0/ डी0सी0ए0ए0/ सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/ अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर द्वारा समस्त वाउचर भुगतान के पश्चात् सुरक्षित रखे जायेंगे। वाउचरों का अंकन नियमित रूप से मास्टर आशा पेमेंट रजिस्टर में अंकित किया जायेगा (संलग्नक-2)।
- अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर द्वारा जनपद मुख्यालय पर भुगतान की सूचना प्रपत्र 3 पर माह की 10 तारीख पर संकलित की जायेगी तथा माह की 12 तारीख तक समस्त भुगतान की संकलित सूचना प्रपत्र 4 पर राज्य स्तर (राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई/परिवार कल्याण महानिदेशालय) को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये (संलग्नक-3 व 4)।
- जिला स्तर पर भी आशा प्रतिपूर्ति भुगतान राशि के विवरण को कम्प्यूटर में सुरक्षित रखा जाये जिसमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुरूप सम्बन्धित माह में आशाओं को भुगतान की गयी कुल प्रतिपूर्ति राशि का विस्तृत विवरण प्रपत्र-3 के अनुरूप अंकित की जाये।
- शहरी आशाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत वाउचर के सापेक्ष उनके खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि की सूचना प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचनापट्ट पर चस्पा करवा दी जाये।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आशाओं को किये गये भुगतान राशि को मासिक आधार पर आशा डाटा बेस में अंकन किया जाये। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उक्त अंकन में आशा को माह में प्राप्त होने वाली समस्त प्रतिपूर्ति राशियों को सम्मिलित किया जाये।
- भुगतान के उपरान्त सम्बन्धित विवरण "आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर" के फॉर्मेट पर DEO Cum Accountant/CCPM/DCAA द्वारा Soft Copy कम्प्यूटर में Excel Sheet में बना कर सुरक्षित रखा जायेगा। इसकी हार्ड कापी भी फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी, जिससे अनुश्रवण में आसानी हो। निर्धारित वाउचर एवं प्रपत्रों के प्रारूप में किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाये, ऐसा करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर प्रभारी चिकित्साधिकारी मासिक आधार पर अच्छा कार्य कर रही आशाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे अन्य आशाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन गतिविधियों/कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिसमें आशा द्वारा अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जायेगी एवं इन कारणों को दूर करने के उपाय किये जायेंगे। आवश्यकता पड़ने पर ऐसी आशाओं के क्षमतावर्द्धन हेतु आशाओं की मासिक बैठक में चर्चा की जानी चाहिए।
- किसी भी परिस्थिति में आशाओं का भुगतान लंबित न रखा जाये। जनपद में आशा भुगतान हेतु जनपदीय अरबन नोडल अधिकारी (NUHM) अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, डी0सी0ए0ए0, सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर एवं एकाउन्टेंट कम डी0ई0ओ0 संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। आशा भुगतान की प्रतिमाह जनपद स्तर पर समीक्षा की जाये एवं इसे जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के एजेण्डा में नियमित रूप से सम्मिलित किया जाये।
- यदि किसी शहरी आशा को भुगतान प्रपत्र भरने में कोई समस्या आती है, तो ऐसी स्थिति में प्रभारी चिकित्साधिकारी/ अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/DCAA/ सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/ एकाउन्टेंट कम डी0ई0ओ0 द्वारा प्रपत्र भरने में आशा को मार्गदर्शन दिया जायेगा।
- शहरी आशा भुगतान अभिलेखों को ऑडिट एवं अन्य जाँच हेतु जनपदीय अरबन नोडल अधिकारी/अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/डी0सी0ए0ए0/सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/ एकाउन्टेंट कम डी0ई0ओ0 द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा ताकि किसी भी समय किसी विभागीय अधिकारी द्वारा इन अभिलेखों का सत्यापन किया जा सके।
- आशा भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से अनियमितता की जाती है, तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा भुगतान की गयी धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल कर ली जाये।

4. शहरी आशा को ड्रग किट दिये जाने हेतु दिशा निर्देश-

प्रदेश की समस्त शहरी आशाओं को आरम्भिक उपचारात्मक देखभाल प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रशिक्षण के अनुसार सामान्य रोग जैसे- दस्त, बुखार आदि के आरम्भिक प्रबन्धन परिवार नियोजन सामग्रियों के वितरण आदि के लिए ड्रग किट दी जानी है।

भारत सरकार द्वारा आशा ड्रग किट दिये जाने के सम्बन्ध में जारी मॉडल दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्न औषधियों को शहरी आशाओं को दिये जाने का प्राविधान किया जा रहा है।

• शहरी आशा की दवा किट में रखी वस्तुओं की सूची

| क्र.स. | दवा/सामग्री | 1 माह के लिए अनुमानित आवश्यकता |
|--------|---|--------------------------------|
| 1 | घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डीडीके किट | 3 |
| 2 | पैरासीटामाल टैबलेट | 20 |
| 3 | आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां | 400 |
| 4 | डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट | 20 |
| 5 | जिंक टैबलेट | 50 |
| 6 | ओआरएस के पैकेट | 10 |
| 7 | निश्चय किट | 3 |
| 8 | कण्डोम (3 का पैकेट) | 30 |
| 9 | खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में) | 10 |
| 10 | आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली | 10 |
| 11 | साबुन | 1 |
| 12 | विसंक्रमित रूई (50 ग्राम) | 1 |
| 13 | पोविडाइन मलहम की ट्यूब | 1 |
| 14 | पट्टियां 4 से.मी. x 4 मीटर | 2 |

उपरोक्त तालिका में वर्णित सामग्रियों एवं उनकी मात्रा में स्थानीय आवश्यकताओं एवं सामग्री की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

- शहरी आशा ड्रग किट का उपयोग करने हेतु निर्देश- आशा ड्रग किट दिये जाने के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक आशा के पास हमेशा कम से कम एक माह का दवाओं का स्टॉक उपलब्ध रहे। दवाओं पर चिपके हुए लेबल अंग्रेजी भाषा में होते हैं। अतः प्रयास यह होना चाहिए कि दवायें अलग-अलग रंग की थैलियों में उपलब्ध करायी जायें, जिससे कि शहरी आशाओं को औषधि वितरण में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।
- आशा ड्रग किट की नियमित रिफिलिंग की जायेगी- पूर्व में स्वीकृत शहरी आशाओं के ड्रग किट हेतु कोई भी धनराशि अलग से नहीं उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। प्रारम्भ में दी गयी मात्रा के अनुसार अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त शहरी आशाओं की संख्या के आधार पर ए.एन.एम. समस्त सामग्री नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् अपने कार्यक्षेत्र की समस्त आशाओं को उपरोक्त सामग्री वितरित करेगी।
- नवीन शहरी हेतु आशा ड्रग किट के लिए वित्तीय दिशा निर्देश- वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 1300 शहरी आशाओं के लिए एफ0एम0आर0 कोड U.6.2.2.1 ASHA Drug Kits के अन्तर्गत रु0 750/- प्रति आशा हेतु अनुमोदित किया गया है। इन 1300 नवीन शहरी आशाओं को रु 450/- की दर से बैग व रु0 300/- प्रति आशा की दर से औषधियों हेतु धनराशि निम्नानुसार स्वीकृत की गयी है-

| Code & Head as per RoP | | | U.6.2.2.1 ASHA Drug Kits | |
|------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| S.No. | District | Name of City | Target | @ Rs 750/- per ASHA |
| 1 | Aligarh | Aligarh | 22 | 16500.00 |
| | | Atrauli | 3 | 2250.00 |
| 2 | Prayagraj | Prayagraj | 50 | 37500.00 |
| 3 | Ambedkarnagar | Ambedkarnagar | 10 | 7500.00 |
| | | Tanda including Jalalpur | 15 | 11250.00 |

| Code & Head as per RoP | | | U.6.2.2.1 ASHA Drug Kits | |
|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| | | | Target | @ Rs 750/- per ASHA |
| 4 | Amroha (J.P Nagar) | Amroha | 15 | 11250.00 |
| | | Hasanpur | 5 | 3750.00 |
| | | Gajraula | 5 | 3750.00 |
| 5 | Auraiya | Auraiya | 20 | 15000.00 |
| 6 | Bahraich | Bahraich | 10 | 7500.00 |
| 7 | Ballia | Ballia | 10 | 7500.00 |
| 8 | Balrampur | Balrampur | 7 | 5250.00 |
| 9 | Banda | Banda | 15 | 11250.00 |
| 10 | Barabanki | Nawabganj | 5 | 3750.00 |
| 11 | Bareilly | Bareilly | 42 | 31500.00 |
| | | Faridpur | 8 | 6000.00 |
| 12 | Basti | Basti | 20 | 15000.00 |
| 13 | Budaun | Budaun | 14 | 10500.00 |
| | | Sahaswan | | 0.00 |
| | | Ujhani | 6 | 4500.00 |
| 14 | Chitrakoot | Chitrakoot | 5 | 3750.00 |
| 15 | Deoria | Deoria | 15 | 11250.00 |
| 16 | Etah | Etah | 7 | 5250.00 |
| 17 | Etawah | Etawah | 20 | 15000.00 |
| 18 | Ayodhya | Faizabad | 15 | 11250.00 |
| | | Ayodhya | 15 | 11250.00 |
| 19 | Fatehpur | Fatehpur | 10 | 7500.00 |
| 20 | Gonda | Gonda | 15 | 11250.00 |
| 21 | Gorakhpur | Gorakhpur | 30 | 22500.00 |
| 22 | Hamirpur | Rath | 15 | 11250.00 |
| 23 | Hardoi | Hardoi | 7 | 5250.00 |
| | | Shahabad | 7 | 5250.00 |
| | | Sandila | 6 | 4500.00 |
| 24 | Hathras | Hathras | 6 | 4500.00 |
| 25 | Jaunpur | Jaunpur | 15 | 11250.00 |
| 26 | Jhansi | Jhansi | 45 | 33750.00 |
| | | Mauranipur | 5 | 3750.00 |
| 27 | Kasganj | Kasganj | 9 | 6750.00 |
| 28 | Kaushambi | Manjhanpur | 3 | 2250.00 |
| 29 | Lalitpur | Lalitpur | 10 | 7500.00 |
| 30 | Lucknow | Lucknow | 70 | 52500.00 |
| 31 | Maharajganj | Maharajganj | 8 | 6000.00 |
| 32 | Mahoba | Mahoba | 6 | 4500.00 |
| 33 | Mainpuri | Mainpuri | 10 | 7500.00 |
| 34 | Mathura | Mathura | 13 | 9750.00 |
| | | Vrindavan | 5 | 3750.00 |
| | | Kosi Kalan | 2 | 1500.00 |
| 35 | Pilibhit | Pilibhit | 15 | 11250.00 |
| | | Bisalpur | 5 | 3750.00 |
| 36 | Pratapgarh | Bela Pratapgarh | 10 | 7500.00 |
| 37 | Rae Bareli | Rae Bareli | 20 | 15000.00 |
| 38 | Rampur | Rampur | 20 | 15000.00 |
| 39 | Saharanpur | Saharanpur | 36 | 27000.00 |
| | | Deoband | 6 | 4500.00 |
| | | Gangoh | 4 | 3000.00 |
| 40 | Sambhal | Chandausi | 5 | 3750.00 |
| | | Sambhal | 15 | 11250.00 |
| 41 | Sant Kabir Nagar | Khalilabad | 15 | 11250.00 |
| 42 | Shahjahanpur | Shahjahanpur | 20 | 15000.00 |

| Code & Head as per RoP | | | U.6.2.2.1 ASHA Drug Kits | |
|------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| | | | Target | @ Rs 750/- per ASHA |
| | | Tilhar | | 0.00 |
| 43 | Shamli | Shamli | 3 | 2250.00 |
| | | Kairana | 7 | 5250.00 |
| 44 | Siddharthnagar | Siddharthnagar | 6 | 4500.00 |
| | | Sitapur | 23 | 17250.00 |
| 45 | Sitapur | Laharpur | 8 | 6000.00 |
| | | Biswan | 4 | 3000.00 |
| | | Mahmudabad | 5 | 3750.00 |
| 46 | Sultanpur | Sultanpur | 7 | 5250.00 |
| 47 | Unnao | Unnao | 20 | 15000.00 |
| 48 | Varanasi | Varanasi | 390 | 292500.00 |
| TOTAL | | | 1300 | 975000.00 |

• नवीन आशाओ को दिये जाने वाले बैग हेतु मानक-

- 18X13 inch with bottom 4 inch
- Venial fine matty cloth (Black Colour)
- Three pockets
- One side nylone bottle holder with elastic.
- One set hanging holder strip with adjuster.
- Two handle for holding.
- Front side logo in two colour.
- Fine quality 8 number zip with stainless steel adjuster.

उपरोक्त दिये गये मानको के अनुसार समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर पर क्रय किये जायेंगे।

• नवीन आशाओ को बैग वितरण हेतु व्यवस्था-

क्रय किये गये बैग को जनपद स्तर पर स्टॉक बुक में अंकित किया जाये एवं नवीन चयनित शहरी आशाओ के 8 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण के उपरान्त ही प्रशिक्षित शहरी आशाओ को बैग का वितरण किया जाये

- शहरी आशाओं के मासिक बैठक के दौरान आशाओं अपनी शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर में उल्लेखित स्टॉक इन्ट्री के आधार पर सम्बन्धित ए.एन.एम. शहरी आशा को दवा/अन्य सामग्री उपयोग किये जाने की सूचना देगी। जिसे ए.एन.एम. द्वारा निम्न निर्धारित प्रपत्र पर संकलित किया जायेगा।

| क्र.स. | दवा / सामग्री | शहरी आशा 1 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा | शहरी आशा 2 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा | शहरी आशा द्वारा उपयोग की गयी मात्रा | शहरी आशा ... द्वारा उपयोग की गयी मात्रा | क्षेत्र की सभी शहरी आशाओं द्वारा उपयोग की गयी कुल मात्रा |
|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| 1 | घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डी.डी.के. किट | | | | | |
| 2 | पैरासीटामॉल टैबलेट | | | | | |
| 3 | आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां | | | | | |
| 4 | डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट | | | | | |
| 5 | जिंक टैबलेट | | | | | |
| 6 | ओ.आर.एस. के पैकट | | | | | |
| 7 | निश्चय किट | | | | | |
| 8 | कण्डोम | | | | | |

| क्र.स. | दवा/सामग्री | शहरी आशा 1 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा | शहरी आशा 2 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा | शहरी आशा द्वारा उपयोग की गयी मात्रा | शहरी आशा .. द्वारा उपयोग की गयी मात्रा | क्षेत्र की सभी शहरी आशाओं द्वारा उपयोग की गयी कुल मात्रा |
|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 9 | खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में) | | | | | |
| 10 | आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली | | | | | |
| 11 | साबुन | | | | | |
| 12 | विसंक्रमित रूई (50 ग्राम) | | | | | |
| 13 | पोविडाइन मलहम की ट्यूब | | | | | |
| 14 | पट्टियां 4 से.मी. X 4 मीटर | | | | | |

- ए.एन.एम., प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से औषधि प्राप्त करेगी, तत्पश्चात् आशाओं को औषधि/अन्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। उक्त दवा एवं सामग्री का स्टॉक एवं स्टॉक बुक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के फार्मासिस्ट की निगरानी में रखा जायेगा।
- रिफिलिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि यदि पहले से ड्रग किट में कोई दवा Expiry Date के निकट हो या Expire हो गयी हो तो उन्हें तत्काल बदल दिया जाय तथा इस बात का ध्यान रखा जाय कि ड्रग किट में दी जाने वाली दवाओं की Expiry Date कम से कम 1 वर्ष बाद की हो। आशा, ड्रग किट का रिकार्ड शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में अंकित करेगी।

5. शहरी आशा मासिक बैठक

प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं के गुणवत्तापरक क्रियान्वयन एवं शहरी आशाओं के नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के उद्देश्य से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रतिमाह शहरी आशाओं की मासिक बैठकों का आयोजन किया जाना है। मासिक बैठकों में आशाओं के क्षमता वर्द्धन के साथ-साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त नवीन दिशा-निर्देशों एवं नवीन कार्यक्रमों के बारे में आशाओं को विस्तृत जानकारी प्रदान की जानी है। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा की जायेगी। प्रत्येक बैठक में सम्बन्धित क्षेत्र की ए.एन.एम. (जिन ए.एन.एम. के क्षेत्र में आशा कार्य कर रही हैं) द्वारा अवश्य प्रतिभाग किया जायेगा।

- आयोजन स्थल— शहरी आशा मासिक बैठक हेतु नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आधारभूत सुविधा जैसे बैठने का स्थान, पेय जल की सुविधा, विद्युत सुविधा, क्रियाशील शौचालय आदि की व्यवस्था होना आवश्यक है। बैठक का पर्यवेक्षण एवं संचालन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि किसी आयोजन स्थल में लॉजिस्टिक जैसे दूरी, जग, गिलास आदि का अभाव है तो इस हेतु कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध धनराशि का प्रयोग किया जा सकता है। बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर नियुक्त स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, शहरी स्वास्थ्य से सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी के द्वारा प्रतिभाग किया जाना चाहिए।
- शहरी आशा मासिक बैठक की माइक्रो प्लानिंग— मासिक बैठकों का आयोजन प्रत्येक माह की 25 तारीख को किया जाएगा। यदि माह की 25 तारीख को अवकाश अथवा टीकाकरण दिवस है तो अगले कार्यदिवस को बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी चिकित्साधिकारी बैठक की तारीख में परिवर्तन की सूचना समस्त प्रतिभागियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को समय से उपलब्ध कराएंगे। बैठक का समय प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक रखा जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए आशाओं की बैठक समय से पूर्ण कर ली जाये ताकि उनके आवागमन में कठिनाई ना हो। बैठक इस प्रकार प्लान की जाय कि प्रत्येक बैठक में अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर/डी0सी0ए0ए0 /सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/डी0ई0ओ0 कम एकाउन्टेंट उपस्थित रहे।

शहरी आशाओं की अन्य सामूहिक गतिविधियां इस प्रकार से नियोजित की जानी चाहिए जिससे शहरी आशा मासिक बैठक में लक्षित आशाओं का शत प्रतिशत प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। उस दिन कोई और गतिविधि न रखी जाये जिसमें आशाओं के प्रतिभाग की आवश्यकता हो। यदि अपरिहार्य कारण से किसी शहरी आशा द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया जाता है, तो ए.एन.एम. संबंधित आशा को बैठक की कार्यवाही से अवश्य अवगत कराये। इस स्थिति में आशा को मासिक बैठक हेतु अनुमोदित प्रतिपूर्ति राशि (रु0 150/-) देय नहीं होगी।

- बैठक का एजेण्डा— प्रत्येक माह मासिक बैठक हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी के निर्देशन में एक एजेण्डा तैयार किया जायेगा, जिसमें निम्न बिन्दु को सम्मिलित किया जाय।

| क्र.सं. | विषय-वस्तु |
|---------|--|
| 1 | पंजीकरण एवं स्वागत |
| 2 | आशा के कार्यों में आने वाली समस्याओं पर चर्चा व उसका निराकरण |
| 3 | अरबन हेल्थ इन्डेक्स रजिस्टर (यू.एच.आई.आर.)/आशा पेमेंट वाउचर/संबंधित प्रारूपों का अवलोकन एवं चर्चा |
| 4 | सम्बन्धित माह में आयोजित होने वाले अभियानों, विशेष दिवसों जैसे-विश्व स्तनपान दिवस, मातृ स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व एड्स दिवस आदि पर आशाओं की क्षमता वर्धन, राज्य एवं जनपद स्तर से प्राप्त नवीन दिशा-निर्देशों पर चर्चा। |
| 5 | आगामी माह की कार्य योजना पर चर्चा |
| 6 | शहरी आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं आशा द्वारा किये जा रहे कार्यों के आधार पर अच्छा कार्य करने वाली आशाओं को प्रोत्साहित करना |
| 7 | आशा मासिक बैठक के दौरान गत माह आशाओं द्वारा जमा किये गये वाउचरों के सापेक्ष आशाओं के खातों में स्थानान्तरित की गयी धनराशि के संबंध में आशाओं को अवश्य अवगत कराना चाहिए। यदि किसी आशा द्वारा जमा किये गये वाउचर एवं स्थानान्तरित की गयी धनराशि में अन्तर है तो उसका कारण अभ्युक्ति कॉलम में अंकित किया जाना चाहिए |

बैठक के प्रारम्भ में समस्त प्रतिभागियों का पंजीकरण अवश्य किया जाना चाहिए। मासिक बैठक के लिये अलग रजिस्टर बनाया जाना चाहिये। आशा के अतिरिक्त अन्य प्रतिभागियों की उपस्थिति दूसरे पेज में अंकित किया जाना चाहिए। रजिस्टर का प्रारूप निम्नवत होगा—

बैठक की तिथि..... स्थान.....

| क्र.सं. | शहरी आशा का नाम | कार्यक्षेत्र | मोबाइल नं0 | हस्ताक्षर | अभ्युक्ति |
|---------|-----------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 1. | | | | | |

| क्र.सं. | प्रतिभागी का नाम | पद | मोबाइल नं0 | हस्ताक्षर | अभ्युक्ति |
|---------|------------------|----|------------|-----------|-----------|
| 1. | | | | | |

6- FMR U.3.1.3 Miscellaneous ASHA Costs

FMR Code U.3.1.3.1 other Non monetary incentive cost- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्ययोजना वर्ष 2020-21 में अन्तर्गत शहरी आशा यूनीफार्म हेतु रु0 500/- प्रति आशा की दर से अनुमोदित किया गया है। इस धनराशि का व्यय आशा द्वारा किया जायेगा, जिसके पश्चात उसके द्वारा प्रस्तुत बीजक (बिल) के अनुसार अधिकतम रु0 500/- का भुगतान PFMS के माध्यम से आशा के खाते में किया जायेगा।

- आशाओं को यूनीफार्म के रूप में एक साड़ी दिये जाने हेतु धनराशि प्रदान की जा रही है। यह साड़ी क्रीम रंग की प्लेन होगी एवं उसमें चॉकलेट रंग का बॉर्डर होगा।
- जिन आशाओं द्वारा सामान्यतः साड़ी के स्थान पर सलवार-कुर्ता पहना जाता है, उनके द्वारा साड़ी के स्थान पर क्रीम रंग का सलवार-कुर्ता एवं चॉकलेट दुपट्टा खरीदा जा सकता है।
- प्रत्येक आशा उपरोक्त रंग के अनुसार साड़ी अथवा सलवार-कुर्ता एवं दुपट्टा स्वयं खरीदेगी।

- आशाओं द्वारा यूनिफार्म खरीदने के पश्चात सत्यापन ए.एन.एम. द्वारा किया जायेगा।
 - अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के उद्देश्य से CCPM/ DEO cum Accountant/DCAA द्वारा प्रतिमाह होने वाली आशा बैठकों में प्रतिभाग कर आशाओं द्वारा यूनिफार्म हेतु साड़ियों अथवा सलवार-कुर्ता एवं दुपट्टा का क्रय व उपयोग को सुनिश्चित किये जाने हेतु जिम्मेदारी दी गयी है।
 - आशाओं की यूनिफार्म हेतु धनराशि लक्षित आशाओं के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। वर्तमान में कार्यरत आशाओं को ही यूनिफार्म हेतु धनराशि प्रदान की जानी है, शेष धनराशि DHS में सुरक्षित रखी जायेगी तथा नवीन शहरी आशाओं के चयन के पश्चात उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि आशाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। एक वित्तीय वर्ष में एक आशा को 01 यूनिफार्म हेतु ही धनराशि उपलब्ध करायी जानी है।
7. आशा डाटाबेस- शहरी आशाओं का डाटाबेस जनपद स्तर पर तैयार किया जाना है। उक्त डाटाबेस में आशाओं के सम्बन्ध में विभिन्न जानकारी जैसे कार्यक्षेत्र आच्छादित आबादी, शैक्षिक योग्यता, एकाउण्ट नं0, आधार कार्ड नं0, मोबाइल नं0, प्रशिक्षण की स्थिति, आदि अंकित किये जाएंगे। उक्त डाटाबेस जनपद स्तर पर डी.सी.ए.ए. द्वारा अधुनान्त किया जाएगा।

8. FMR U.12 Printing Activity

FMR Code U.12.1 Printing activity- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशाओं द्वारा किये गये कार्यों के अभिलेखीकरण हेतु शहरी आशाओं को शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका एवं आशा वाउचर उपलब्ध कराया जाना है।

- शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका (UHIR)- शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के मुद्रण हेतु FMR Code U.12.1 के अन्तर्गत रू0 300/- प्रति आशा की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। रजिस्टर के मुद्रण हेतु संशोधित प्रारूप पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।
- आशा प्रतिपूर्ति राशि हेतु आशा वाउचर हेतु दिशा-निर्देश - आशाओं के भुगतान हेतु वाउचर उपलब्ध कराने एवं रख-रखाव हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं-
 - आशाओं द्वारा किये गये कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु वाउचर की बुकलेट छपवाकर प्रत्येक आशा को वितरित की जानी हैं। वाउचर का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है (संलग्नक-1 क और संलग्नक-1 ख)
 - प्रत्येक बुकलेट में वाउचर्स के दो प्रतियों (डुप्लीकेट कॉपी के 15 सेट अर्थात् 30 पन्ने) की बुकलेट तैयार की जानी है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्ययोजना वर्ष 2020-21 के FMR Code U.12.1 के अन्तर्गत इस हेतु अधिकतम रू0 25/- प्रति बुकलेट प्रति आशा के आधार पर छपवाने हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। बुकलेट का मानक निम्नवत् होंगे-

| क्र0सं0 | उपयोग | जी0एस0एम0 | लम्बाई X चौड़ाई |
|---------|---|-----------|--------------------------------------|
| 1 | एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सिपूल मद की वाउचर बुकलेट | 57 | लम्बाई 26 से.मी. चौड़ाई 21 से.मी. |

- बुकलेट के प्रति वाउचर की दोनों प्रतियां 2 रंगों में छपवाई जाय। प्रथम पन्ना सफेद रंग का दूसरा पन्ना गुलाबी रंग का हो सकता है।
 - वर्तमान वित्तीय वर्ष के वाउचर शीघ्र अतिशीघ्र छपवाकर भुगतान हेतु प्रयोग में लाये जायें।
 - आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि की पूर्ण जानकारी हेतु जनपद स्तर पर आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर का रख-रखाव अनिवार्य है।
9. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
- जिला स्तर के अधिकारी द्वारा नियमित रूप से नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर उपलब्ध आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित वाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है।

- राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर अपने पर्यवेक्षकीय भ्रमण के दौरान "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" एवं आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित वाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय-

1. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल वाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जाँच के समय प्रेषित किया जा सके।
2. ऑपरेशनल गाइडलाइन फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
3. धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
4. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोगित करने के पश्चात भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस0पी0एम0यू0 के एन.यू.एच.एम. अनुभाग, अरबन हेल्थ सेल, परिवार कल्याण मन्त्रालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।





आशा को मिलने वाली प्रस्ताहन राशि के मुग्तान हेतु प्रपत्र-1

नगरीय प्राथम 340 केन्द्र का नाम

आशा का नाम आशा आई0डी0न0 स्तम का नाम माह जमा करने की तिथि

बैंक का नाम खाता संख्या IFS कोड

| क्र0सं | कार्यक्रम | गतिविधियाँ | प्रतिपूर्ति राशि (रुपये में) | माह में किया गया कार्य (संख्या लिखें) | माह में कुल अनुमन्य राशि (रु.में) | पिछले माह में शेष मुग्तान का विवरण | कुल अनुमन्य राशि (5+6) | मुग्तान का विवरण |
|--------|--|------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | शहरी स्वास्थ्य पोषण विवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने | | 200 | | | | | |
| 2 | महिला आराग्य समिति की बैठक में प्रतिभाग करने | | 150 | | | | | |
| 3 | शहरी आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा-व्यय | | 150 | | | | | |
| 4 | वार्ड सर्वे को अद्यतन करना | | 300 | | | | | |
| 5 | शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर | | 300 | | | | | |
| 6 | टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर | | 300 | | | | | |
| 7 | ANC लाभार्थियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर | | 300 | | | | | |
| 8 | योग्य दम्पतियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर | | 300 | | | | | |
| 9 | प्रसव पूर्व देखभाल हेतु | | 200 | | | | | |
| 10 | संस्थागत प्रसव में सहायता | | 200 | | | | | |
| 11 | अति जोखिम गर्भवती महिला का उच्चस्तरीय केन्द्र पर परिशेषण/मर्ती और संस्थागत प्रसव करने के साथ MCTS/RCH पोर्टल पर Entry कराने पर (प्रति केस) | | 300 | | | | | |
| 12 | महिला नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में) | | 200 | | | | | |
| 13 | पुरुष नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में) | | 300 | | | | | |
| 14 | महिला नसबन्दी मात्र 57 जिलों में | | 300 | | | | | |
| 15 | पुरुष नसबन्दी मात्र 57 जिलों में | | 400 | | | | | |
| 16 | प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी मात्र 57 जिलों में | | 400 | | | | | |
| 17 | प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी (मात्र 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में) | | 300 | | | | | |
| 18 | दो बच्चों के पश्चात स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर | | 1000 | | | | | |
| 19 | शारी के पश्चात 2 साल तक प्रथम बच्चे हेतु अन्तःशाल रखने हेतु प्रेरित करने पर | | 500 | | | | | |
| 20 | प्रथम बच्चे से द्वितीय बच्चे के मध्य 3 साल का अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर | | 500 | | | | | |
| 21 | लाभार्थी को PPIUCD लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने/सहाय्य करने पर | | 150 | | | | | |
| 22 | लाभार्थी को नई पहल किट वितरण करने के सम्बन्ध में प्रति किट मात्र 57 जिलों में | | 100 | | | | | |
| 23 | लाभार्थी को स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने एवं वैसासिक गर्भनिरोधक इनजेक्शन (अन्तर) लगवाने हेतु प्रति लाभार्थी रु0 100 मात्र 57 जिलों में | | 100 | | | | | |
| 24 | Client को PAUCD लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने/सहाय्य करने पर | | 150 | | | | | |
| 25 | महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर सर्जिकल विधि से गर्भपात सेवाओं को सुनिश्चित कराने पर (प्रति केस) | | 150 | | | | | |
| 26 | महिला को चिकित्सालय तक ले जाकर मेडिकल विधि से गर्भपात सेवाओं के उपरान्त तीन बार फॉलोअप करना (प्रति केस) | | 225 | | | | | |
| 27 | गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अन्तर्गत आशा को 24 घंटे के भीतर प्रथम भ्रमण, 3 और 7 दिन के भ्रमण करने पर प्रति लाभार्थी हेतु | | 150 | | | | | |
| 28 | गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) के अन्तर्गत आशा को शेष भ्रमण 14, 21, 28 एवं 42 दिन पूरा करने पर प्रति लाभार्थी हेतु | | 100 | | | | | |
| 29 | AMB कार्यक्रम में आशा द्वारा 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को 50 M.L. ऑटो डिस्पेंसर के आगल सौस का वितरण हेतु प्रति माह | | 50 | | | | | |
| 30 | 0-1 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षीकरण हेतु (प्रति बच्चा) | | 100 | | | | | |
| 31 | 1-2 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षीकरण हेतु (प्रति बच्चा) | | 75 | | | | | |
| 32 | 5-6 वर्ष की आयु तक (डीपीटी बुस्टर-2) प्रतिरक्षण हेतु प्रति बच्चा | | 50 | | | | | |
| 33 | टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु (प्रति सत्र) | | 150 | | | | | |
| 34 | गर्भवती महिला का पंजीकरण कराने के पश्चात दी जाने वाली धनराशि प्रति केस | | 50 | | | | | |
| 35 | गर्भवती महिला का प्रपत्र 1 सौ भरकर प्रस्तुत करने के पश्चात प्रति केस | | 50 | | | | | |
| 36 | हेल्थ प्रमोशन विवस | | 200 | | | | | |
| 37 | अन्य | | | | | | | |
| 38 | अन्य | | | | | | | |

आशा के हस्ताक्षर

ए0एन0एम0 द्वारा सत्यापन

हस्ताक्षर
0ईओ कम एकाउण्टेंट/डी0सी0ए0हस्ताक्षर
सी0सी0पी0एम0हस्ताक्षर
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक

